



## भुगतान वज़िन 2025: आरबीआई

### प्रिलमिस के लिये:

भुगतान वज़िन 2025, वज़िन दस्तावेज़ 2019-21 की उपलब्धियाँ, आरबीआई।

### मेन्स के लिये:

भुगतान वज़िन 2025 के उद्देश्य और महत्त्व।

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में [भारतीय रज़िर्व बैंक \(Reserve Bank of India- RBI\)](#) द्वारा प्रत्येक उपयोगकर्ता को सुरक्षा, तीव्र, सुवर्धजनक, सुलभ और कफ़ायती ई-भुगतान विकल्प प्रदान करने के उद्देश्य से "भुगतान वज़िन 2025" (Payment Vision 2025) प्रस्तुत किया गया है।

## प्रमुख बंदि

### भुगतान वज़िन 2025:

- **भुगतान वज़िन 2025 के बारे में:**
  - भुगतान वज़िन 2025 को आरबीआई के भुगतान और नपिटान प्रणाली के वनियमन और पर्यवेक्षण के लिये बोर्ड के मार्गदर्शन से तैयार किया गया है।
  - यह [भुगतान वज़िन 2019-21](#) की पहल पर आधारित है।
  - भुगतान वज़िन 2025 दस्तावेज़ को समग्रता, समावेश, नवाचार, संस्थागतकरण और अंतर्राष्ट्रीयकरण के पाँच प्रमुख लक्ष्य पदों पर प्रस्तुत किया गया है।
- **थीम:** ई-पेमेंट्स फॉर एवरीवन, एवरीवेयर, एवरीटाइम (4E)।
- **उद्देश्य:**
  - किसी भी समय और कहीं भी सुवर्ध के साथ सुलभ भुगतान विकल्पों के साथ उपयोगकर्ताओं को सशक्त बनाने के क्षेत्र में भुगतान प्रणाली को उन्नत करने में सहायक।
  - क्लोज़्ड ससिस्टम PPIs सहित [प्रिपेड पेमेंट इंस्ट्रुमेंट \(Prepaid Payment Instruments- PPIs\)](#) के लिये डिजिटल भुगतान अवसंरचना तथा लेन-देन और पुनरीक्षण दशिया-नरिदेशों की जयिोटैगि को सक्षम करने के लिये।
  - भुगतान पारसिथितिकि तंत्र में सभी महत्त्वपूर्ण बचौलियों को वनियमति करना तथा क्रेडिट कार्ड और बैंकिंग उत्पादों के क्रेडिट घटकों को यूपीआई से जोड़ना।
  - एक राष्ट्र एक ग्रंडि समाशोधन और नपिटान परपिरेकष्य सहित [चेक ट्रंकेशन ससिस्टम \(Cheque Truncation System-CTS\)](#) में वृद्धालाने के लिये तथा इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग का उपयोग कर ऑनलाइन व्यापारी भुगतान को संसाधति करने हेतु एक भुगतान प्रणाली नरिमति करना।
  - भुगतान क्षेत्र में बगिटेक ([BigTechs](#)) और फनिटेक ([FinTechs](#)) का वनियमन।
  - बुक नाउ पे लेटर ([Book Now Pay Later- BNPL](#)) वधियों की जाँच और BNPL से जुड़े भुगतानों पर उचति दशिया-नरिदेशों को नरिधारति करना।
- **प्राप्त करने हेतु नरिधारति लक्ष्य:**
  - चेक-आधारति भुगतानों की मात्रा कुल खुदरा भुगतान के 0.25% से कम होनी चाहयि।
  - डिजिटल भुगतान लेन-देन की संख्या को तीन गुना करना।
  - UPI 50% की औसत वार्षिक वृद्धि और IMPS/NEFT 20% की वृद्धिदरज़ करे।
  - भुगतान लेन-देन टर्नओवर को सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में बढ़ाकर 8% करना।
  - PoS (पवाइंट ऑफ सेल) पर [डेबिट कार्ड लेनदेन में 20% की वृद्धि](#)।
  - मूल्य के संदर्भ में [क्रेडिट कार्ड से आगे नकिलने के लिये डेबिट कार्ड का उपयोग](#)।
  - [PPI लेनदेन में 150% की वृद्धि](#)।

- कार्ड स्वीकार करने का बुनियादी ढाँचा **250 लाख तक बढ़ाया** जाएगा ।
- मोबाइल आधारित लेनदेन के लिये पंजीकृत ग्राहक आधार में 50% CAGR की वृद्धि
- GDP के प्रतिशत के रूप में कैश इन सर्कुलेशन (CIC) में कमी ।

## पहल का महत्त्व:

- **भारत के भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देना:**
  - भारतीय रिज़र्व बैंक का भुगतान वज़िन 2025 भारत के **भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देने, सुरक्षित, अधिक सुरक्षित और नरिबाध भुगतान बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा देने** में महत्त्वपूर्ण होगा ।
- **सभी भुगतान अभिक्रिया हेतु मानदंड:**
  - यह दस्तावेज़ सभी भुगतान अभिक्रिया, फनिटेक और अन्य हतिधारकों के लिये एक मानदंड के रूप में कार्य करेगा, जिससे उन्हें RBI के समग्र उद्देश्यों के साथ संरेखित करके अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिये प्रोत्साहित किया जाएगा ।
- **वैश्विक पहुँच:**
  - UPI जैसी पहलों के माध्यम से RBI ने भारत में भुगतान का लोकतांत्रिकरण किया है । वर्ष 2025 के दृष्टिकोण के साथ भुगतान 'हर कोई, हर जगह, हर समय' के लिये उपलब्ध होगा, जिससे भारतीय भुगतान प्रणालियों को वैश्विक पहुँच मिलेगी, जिससे वे सुरक्षित, मज़बूत, तेज़, सुविधाजनक और सस्ती हो जाएँगी ।

## भुगतान वज़िन 2019-21 की उपलब्धियाँ:

- भुगतान वज़िन 2021 ने प्रत्येक **भारतीय को ई-भुगतान विकल्पों तक पहुँच के साथ सशक्त बनाने** की परकल्पना की थी जो सुरक्षित, मज़बूत, सुविधाजनक, त्वरित और कफ़ायती है, साथ ही प्रतिसिपर्धा, लागत, सुविधा और आत्मवश्वास के चार लक्ष्य नरिधारित किये थे ।
- इन लक्ष्यों को नमिनलखित पहलों के माध्यम से पूरा किया गया है:
  - **प्रतिसिपर्धा:**
    - **नियामक सैंडबॉक्स** का नरिमाण, गैर-बैंक PSO के लिये **केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली (CPS)** की पहुँच, ऑफलाइन मोड में **कम मूल्य के डिजिटल भुगतान की सुविधा**, भुगतान प्रणालियों के लिये 'ऑन टैप' प्राधिकरण, घरेलू भुगतान प्रणालियों का अंतर्राष्ट्रीयकरण, फीचर फोन-आधारित भुगतान सेवाओं, भुगतान प्रणालियों के लिये स्व-नियामक संगठन के लिये ढाँचा, आदि ।
  - **लागत:**
    - रीयल टाइम ग्राँस सेटलमेंट (RTGS) और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) सिस्टम आदि में संसाधित लेनदेन के लिये RBI द्वारा लगाए गए शुल्क में छूट ।
  - **सुविधा:**
    - 24x7x365 आधार पर NEFT, RTGS और नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (NACH) की उपलब्धता, असफल लेनदेन के संबंध में समाधान और मुआवजे के लिये टर्न-अराउंड-टाइम (TAT) का सामंजस्य आदि ।
  - **आत्मवश्वास:**
    - भुगतान एग्रीगेटर (PA) को वनियमित करने के लिये ढाँचा, आवर्ती लेनदेन के लिये ई-जनादेश, कार्ड लेनदेन का टोकनाइज़ेशन और कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइज़ेशन (COFT) आदि ।

## वर्षों के प्रश्न

प्रश्न. नमिनलखित कथनों पर वचिार कीजिये: (2019)

नमिनलखित कथनों पर वचिार कीजिये:

'भुगतान प्रणाली आँकड़ों के भंडारण (स्टोरेज ऑफ़ पेमेंट सिस्टम डेटा)' के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल का नदिश, जिसे प्रचलित रूप से डेटा डिक्टेट के रूप में जाना जाता है, भुगतान प्रणाली प्रदाताओं (पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स) को समादेशित करता है कि

1. वे यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणालियों से संबंधित समग्र आँकड़े एक प्रणाली के अंतर्गत केवल भारत में भंडारित किए जाएँ ।
2. वे यह सुनिश्चित करेंगे कि इन प्रणालियों का स्वामित्व और संचालन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम ही करें ।
3. वे कैलेंडर वर्ष की समाप्तिक भारत के नरिंतरक एवं महालेखापरीक्षक को समेकित प्रणाली लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे ।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 3
- (d) 1, 2 और 3

## उत्तर: (a)

- पर्यवेक्षी उद्देश्यों के लिये सभी भुगतान डेटा तक नरिबाध पहुँच प्राप्त करने हेतु भारतीय रज़िर्व बैंक ने नरिदेश दिया था कसिभी ससि्टम प्रदाता यह सुनशिचति करें कसिंचालति भुगतान प्रणाली से संबंघति संपूर्ण डेटा केवल भारत में एक ससि्टम में संग्रहीत कयिा जाता है। इस डेटा में संदेश/भुगतान नरिदेश के हसिसे के रूप में संपूर्ण लेन-देन वविरण/संग्रह/ले जाने/संसाधति की गई जानकारी शामिल है। **अतः कथन 1 सही है।**
- सार्वजनकि क्षेत्र के उद्यमों द्वारा ससि्टम के स्वामतिव और संचालन के संबंघ में कोई प्रावधान प्रदान नहीं कयिा गया है। **अतः कथन 2 सही नहीं है।**
- आरबीआई ने भुगतान प्रणाली प्रदाताओं को सीईआरटी-इन पैनलबद्ध लेखा परीकषकों द्वारा अनविरय रूप से आयोजति ऑडिट के साथ ससि्टम ऑडिट रिपोरट (एसएआर) जमा करने का भी नरिदेश दिया था। **अतः कथन 3 सही नहीं है।**

## स्रोत- द हद्वि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/payment-vision-2025-rbi>

